निर्देश 699-PBR-17

(13)

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला खण्डवा म.प्र. ::

क्रमांक–क / वा.कले. / 2017 / 243 खण्डवा दिनांक 4/01/2017

प्रति,

अध्यक्ष,
राजस्व मंडल
म.प्र. ग्वालियर ।

आवक क्र. 150 दिनांक 18-1-17 मध्यप्रदेश ग्वालियर

विषयः– म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 (1) के तहत् राजस्व प्रकरणों में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

–00–

विषयान्तर्गत अनुरोध है, कि संस्था दी निमाड एजुकेशन सोसायटी खण्डवा को खण्डवा शहर में स्थिति नजूल ब्लाक न. 70 प्लाट न. 17 क्षेत्रफल 218210 वर्गफिट तथा ब्लाक न. 73 प्लाट न. 01 क्षेत्रफल 34834 वर्गफिट भूमि लीज पर दी गई थी, पीठासीन अधिकारियों द्वारा लीज नवीनीकरण नजूल प्रकरण कमांक– 290 अ 20(1) वर्ष 2001–02 पारित आदेश दिनांक 01–09–2010 एवं लीज नवीनीकरण नजूल प्रकरण कमांक– 01, अ 20 (1) वर्ष 2012–13 पारित आदेश दिनांक 27.04.2013 व लीज नवनीकरण नजूल प्रकरण कमांक 02 अ 20 (1) वर्ष 2012–13 आदेश दिनांक 27.04.13 को पारित कर लीज नवीनीकरण किया गया है, जो पृथमदृष्टया त्रृटिपूर्ण होकर निरस्ती योग्य हैं ।

2/ अतएव कृपया नजूल प्रकरण कमांक– 290 अ 20(1) वर्ष 2001–02 पारित आदेश दिनांक 01–09–2010 एवं लीज नवीनीकरण नजूल प्रकरण कमांक– 01 अ 20 (1) वर्ष 2012–13 आदेश दिनांक 27.04.2013 व लीज नवीनीकरण नजूल प्रकरण कमांक– 02 अ 20 (1) वर्ष 2012–13 आदेश दिनांक 27.04.2013 को पारित आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 (एक) के तहत् प्रदान करने की कृपा करें। पुनर्विलोकन में संबंध में आदेश पत्रिका एवं मूल प्रकरण अवलोकन हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(स्वाती मीणा नायक)
कलेक्टर,
जिला खण्डवा

शमन / दि. नियाइ ट्यूकेशन सोसायटी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 699–पीबीआर/2017 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.8.2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रिव्यु की अनुमति पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । रिव्यु की अनुममि के पर्याप्त आधार होने से कलेक्टर जिला खण्डवा द्वारा नजूल प्रकरण कमांक 290 अ 20(1) वर्ष 2001–02 पारित आदेश दिनांक 1–9–2010 एवं लीज नवीनीकरण नजूल प्रकरण कमांक 01 अ 20(1) वर्ष 2012–13 आदेश दिनांक 27–4–13 व लीज नवीनीकरण नजूल प्रकरण कमांक 02 अ 20(1) वर्ष 2012–13 आदेश दिनांक 27–4–13 को पारित आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की जाती है। अध्यक्ष	